क्रमांक

10201

मूल्य : 50 रुपये

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 'क' के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भूखण्डों के उपयोग हेतु)

पट्टेदार को फोटो

5053

यह पट्टा आज दिनांक 25/2/13 सन् 200 .... को एक ओर राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पट्टाकर्ता कह कर सम्बोधित किया गया है। और द्वितीय पक्षकार श्री/श्रीमती मैसर्स वीर राग बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड प्रबंध निदेशक पुत्र/पत्नी पृथ्वीराजगुलेच्छा पुत्र श्री आनन्द जाति ओसवाल निवासी 222 वर्द्धमान नगर खेमे का कुआ पाल रोड़ जोधपुर (जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुक्तकील अलेह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है ।

इस बात का साक्षी है कि रुपये 1482688/- अक्षरे चौदह लाख बयासी हजार छः सौ इठयासी रुपये मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है । (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है जो ख० न० 66/2, 66/10 व 628/65 पाल योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है । लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी ।
2. (अ) 10 वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एक मुश्त जमा करवाने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा यह राज्य सरकार के आदेश पत्रांक एफ/3 (50)/नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 31.5.2012 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि 664/5 ... रुपये की 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय होगी ।
   (ब) एक मुश्त लीज राशि जमा न करवाने पर पट्टेदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के कार्यालय में प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में आरक्षित दर से गणना की गई भूखण्ड की कुल कीमत की 2.5 प्रतिशत की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करवाने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी । 31 मार्च से पूर्व अग्रिम शहरी जमाबन्दी जमा करवाने पर 10 प्रतिशत की छूट भी देय होगी ।
3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तांतरण पर ... प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी ।
4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब ... अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश की बकाया की वसूली के लिए निर्देशित किया गया है, ... करेगी और वसूल करने के लिए सक्षम होगी ।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग मात्र रूपान्तरित भू उपयोग हेतु ही किया जायेगा। अन्य उपयोग जोधपुर विकास प्राधि... जोधपुर की लिखित अनुज्ञा से ही किया जा सकेगा ।
6. उक्त भूखण्ड पर निर्माण जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से निर्माण स्वीकृति ले कर ही किया जा सकेगा।

उप पंजीयक
जोधपुर

7. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शेड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋण दात्री संस्थाओं के पास ऋण प्राप्त करने हेतु गिरवी रखने के लिए पट्टाधारक स्वतंत्र रहेगा।

8. पट्टेदार द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नियमों के अनुसार करवाना होगा ।

9. पट्टेदार द्वारा पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड या उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

योजना का नाम : आवासीय एकल पट्टा

प्रकरण सं. 24/2012 निर्णय दिनांक 12/11/2012 नामान्तरकरण सं. 4251

ग्राम पाल खसरा नं. 66/2, 66/10, 628/65 भूखण्ड सं. एकल पट्टा क्षेत्रफल 31067.35 वर्गगज or 25985.71 SQM

नाप (लम्बाई x चौड़ाई)

भूखण्ड के पड़ौस:-

उत्तर 40' Road पूर्व 75' PLANTATION & 200' Road

दक्षिण OTHER LAND K.No. 65 पश्चिम OTHER LAND K.No. 64

उक्त भूमि के पट्टा विलेख के साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने ऊपर लिखित तारीख और वर्ष को इस विलेख पर हस्ताक्षर कर दिये है।

सरकार की ओर से आज दिनांक 25/2/13 को

श्री डॉ. सुश्री शशी शर्मा उपायुक्त ड़मिंग सक्षम अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

ने निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये ।

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर
जोधपुर

VEETRAG BUILDCON P[VT. LTD.]
DI[RECTOR]
पट्टेदार के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1- नाम सलीम मोहम्मद
पद L.D.C. J.D.A.
साक्षी के हस्ताक्षर

2- नाम
पद
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1- नाम विजय सिंह राठौड़
पिता/पति का नाम श्री पूनम सिंह जी राठौड़
पता किल्ली खाना जोधपुर
साक्षी के हस्ताक्षर

2- नाम जितेन्द्र जैन
पिता/पति का नाम श्री दीपचन्दजी
पता 38 देव नगर जोधपुर
साक्षी के हस्ताक्षर

रसीद नं0 2013003555 दिनांक 26/02/2013
पंजीयन शुल्क रू0 42190/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 0/-
कुल योग रू0 42490/-

(2013003532) उप पंजीयक, JODHPUR (FIRST)
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

उप पंजीयक (प्रथम)
जोधपुर

आज दिनांक 26/02/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 579
में पृष्ठ संख्या 181 क्रम संख्या 2013002594 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2316
के पृष्ठ संख्या 294 से 300 पर
चस्पा किया गया।

(2013003532) उप पंजीयक, JODHPUR (FIRST)
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

उप पंजीयक (प्रथम)
जोधपुर

RECONSITUTE SITE PLAN SHOWING ON KHASRA NO.66/2 , 66/10 & 628/65
VILLAGE PAL ON BYE PASS ROAD AT JODHPUR.

SCALE :- 1" = 100' FEET

AREA = 25988.71 SQ.M. OY
31063.55 Sq.y

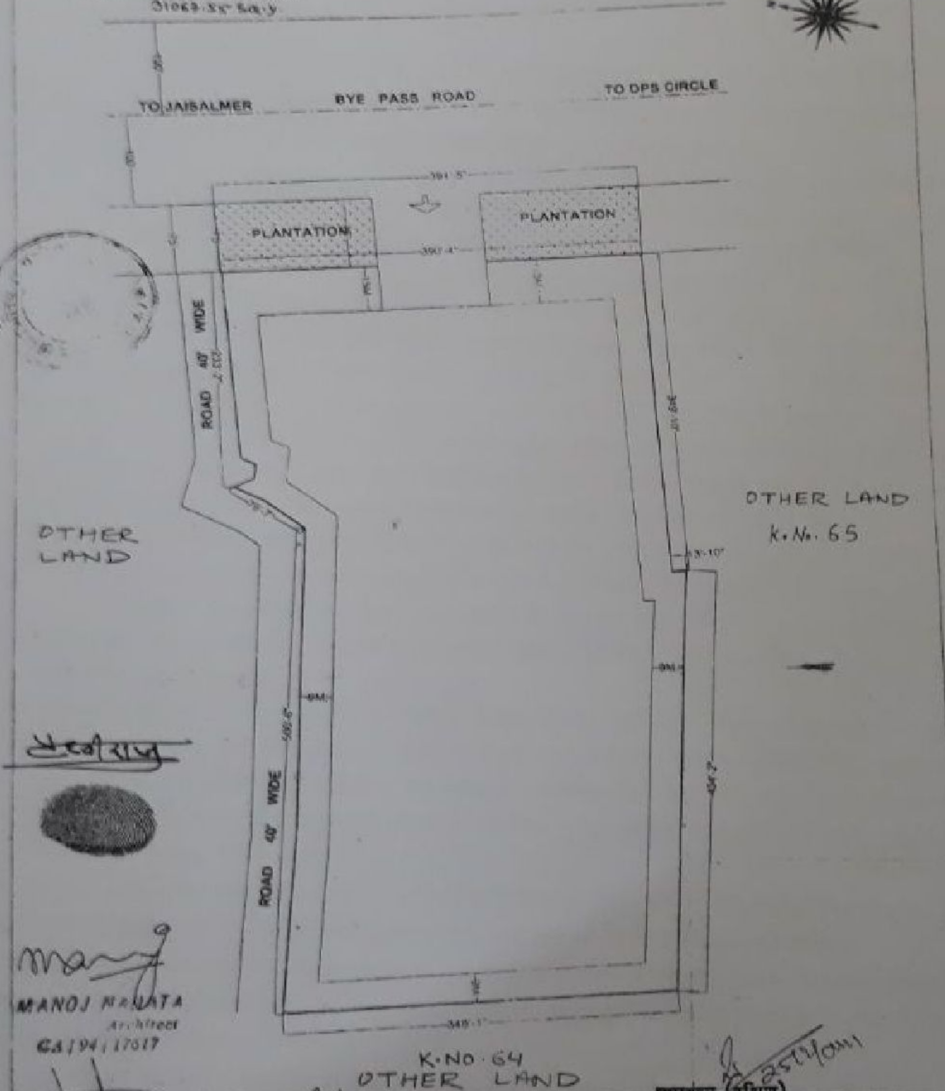

MANOJ MAHATA
Architect
CA/94/17617

25/02/13

सहायक नगर नियोजक,
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर